

12 ⁵/₉₅

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी - व वादी
को आवाज लगाई गई। बार - बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व
वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर

वादी का बाद अहम हाजरी अहम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

Handwritten signature

उपकाण्ड अधिकारी
बंसारामगढ़ (सीकर)